फर्द अहकाम

मालीराम बनाम प्रभुदयाल वगै०

...ालय

...संख्या 7/2020

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/01/21	व० क० उपस्थित प्रकरण में जवाब प्रार्थनापत्र 151 CPC पेश हुआ। नकल दिलाई गई। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थनापत्र 151 CPC दिनांक 18/01/21 को पेश हो।	
	18/01/21	व०क० उप० बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते अवलोकन व आदेश दिनांक 29/01/21 को पेश हो।	
	29/01/21	व०क० उप० पत्रावली वास्ते अवलोकन व आदेश दिनांक 01.02.21 को पेश हो।	
	01/02/21	व०क० उप०। पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थनापत्र धारा 151 CPC बाबत खारिज में के० सी०सी० लोन लेने की अनुमति दिये जाने का खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। ... मूल ... सेलग्न रहे।	

सहायक ... (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.30 14:34:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

विशेष विवरण

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0/मु0) चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

वाद संख्या :-07/2020

मालीराम वगै0 बनाम प्रभुदयाल वगै0

(प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 बाबत् स्थगन में के0सी0सी0 लोन लेने की अनुमति दिय जाने

आदेश

दिनांक:- 01.02.2021

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 का इस आशय का पेश किया गया है कि मान्य न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 14.05.2018 को उक्त प्रकरण में ता-फैसला वाद स्थगन आदेश को कन्फर्म कर दिया गया हैं। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 विवादग्रस्त आराजीयात् बाबत् अपने हिस्से की भूमि के बाबत् के0सी0सी0 का लोन प्राप्त करना चाहता है, किन्तु स्थगन आदेश होने के कारण प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 ना तो सरकारी सुविधा प्राप्त कर पा रहा हैं, ना ही के0सी0सी0 लोन ले पा रहा हैं। इसलिये न्यायहित में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 को स्थगन आदेश में के0सी0सी0 लोन हेतु अनुमति दिये जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। यदि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 स्थगन आदेश में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या के हिस्से की भूमि पर के0सी0सी0 लोने लेने की अनुमति प्रदान नहीं की गई तो प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 अपनी भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा कर अपनी भूमि को और अधिक उपजाउ नहीं बना पायेगा तथा जिससे प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 अपनी आय को नहीं बढा पायेगें ना ही अपनी भूमि में उपज को बढा पायेंगे, जिससे राजस्व की भी हानि होगी, तथा यदि अनुमति दी जाती है तो प्रकरण पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा, ना ही वाद की प्रकृति ही बदलेगी, क्योंकि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 भूमि को बेचान, हस्तान्तरित या खुर्द बुर्द नहीं कर रहे हैं, बल्कि के0सी0सी0 लोन लेना चाहते है।

अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से जवाब प्रार्थना-पत्र तहत धारा 151 सी0पी0सी0 बाबत् स्थगन में के0सी0सी0 लोन लेने के अनुमति दिये जाने का पेश कर निवेदन किया की उक्त उनवानी प्रकरण वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया था जो वाद पत्र घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में है तथा इसके साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 10.08.2005 को माननीय न्यायालय द्वारा उक्त विवादित भूमियों के सम्बन्ध मे रहन, वय, मुन्तकिल के सम्बन्ध में स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया था, उक्त आदेश को दिनांक 14.05.2018 को तावाद फैसला कन्फर्म किया गया था। यदि उक्त विवादित आराजीयात् के सम्बन्ध में किसी पक्षकार का किसी भी प्रकार का रहन का आवेदन स्वीकार किया जाता है तो वादी के साथ अन्याय होगा तथा वाद का निस्तारण भी सही से नहीं किया जा सकता। उक्त वाद पत्र घोषणा का है जिसमें खातेदारी भूमि की घोषणा की जानी है तथा माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के विचाराधीन रहते स्थगन आदेश से पाबन्द किया गया है जिस कारण यदि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 को के0सी0सी0 लोन प्राप्त करने [illegible] /प्रतिवादी संख्या 2 अपने नाजायज मन्सुबों में कामयाब हो जायेगा [illegible] /वादीगण के साम्पत्तिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा [illegible] गी। जिस कारण प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 [illegible] जाना कतई भी न्यायहित में न्यायोचित नहीं है। [illegible] वें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.30 14:34:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् प्रारम्भिक आपत्ति बाबत् दर्ज किये जाने प्रार्थना पत्र अ0 धारा 151 सीपीसी को पेश कर निवेदन किया गया की माननीय न्यायालय के समक्ष एक वाद–पत्र बाबत् घोषणा दुरुस्ती अभिलेख व विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 117/240/2005 पेश की गई थी। जिसमें की दिनांक 14.05.2018 को अन्तिम रुप से आदेश पारित कर दर्ज रजिस्टर से कम कर दाखिल दफ्तर हो चुकी है। उक्त प्रकरण प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अन्तिम रुप से निस्तारण होने के उपरान्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं, जोकि विधि के तथ्यों के विरुद्ध जाकर प्रस्तुत किया गया है क्योंकि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अन्तिम रुप से निस्तारित होने के उपरान्त उसकी अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटी एक्ट 1955 के तहत करने का प्रावधान है। उक्त उनवानी प्रा0पत्र यदि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के लम्बित रहते हुए पेश होता तो स्वीकार्य होता किन्तु उकत प्रार्थना पत्र कानूनी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए पेश किया गया तथा न्यायालय श्रीमान् द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया है जो कि विधि विरुद्ध है तथा उक्त प्रार्थना पत्र ही खारीज योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र बाबत् प्रारम्भिक आपत्ति बाबत् दर्ज किये जाने प्रार्थना पत्र अ0 धारा 151 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया गया की मान्य न्यायालय को प्रार्थना पत्र तहत धारा 151 सीपीसी में चाहा गया अनुतोष प्रदान किये जाने का विधिक अधिकार प्राप्त हैं, मिन अप्रार्थीगण द्वारा मात्र के0सी0सी0 लोन हेतु छुट चाही गई हैं, नाकि भूमि को बेचान, हस्तान्तरण अथवा खुर्द बुर्द करने हेतु, तथा के0सी0सी0 लोन की छुट दिये जोने से भूमि किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द अथवा हस्तान्तरित नहीं हो रही हैं। इसलिये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर प्रस्तुत किया हुआ होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। उभयपक्षो की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रा0पत्र एवं पत्रावली का बगोर अवलोकन किया गया। उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद घोषणा का है जिसमें खातेदारी भूमि की घोषणा की जानी है तथा उक्त सम्बन्ध में स्थगन आदेश दिनांक 14.05.2018 को अन्तिम रुप से आदेश पारित किये जा चुके है। अतः न्यायालय अभिमत में उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहत धारा 151 सी0पी0सी0 बाबत् स्थगन में के0सी0सी0 लोन लेने के अनुमति दिये जाने का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर शामिल मिसल रहे।

आदेश आज दिनांक 1.2.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(फा0ट्रे0/मुख्यालय)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.30 14:34:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner